न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्याः 19/2023

प्रार्थी

(1) प्रकाशचन्द दवे पुत्र स्व. अचलेश्वरजी, जाति– ब्राह्मण, निवासी– गोल, तहसील व जिला– सिरोही

(2) जगदीशचन्द दवे पुत्र श्री महेन्द्र कुमार दवे, जाति– ब्राह्मण, निवासी– गोल, तहसील व जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थी

सरपंच, ग्राम पंचायत, गोल, तहसील व जिला– सिरोही

"प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार शाह, प्रार्थीगण की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 31 जनवरी, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्याः 07/2021 अनवान प्रकाशचन्द दवे व अन्य बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत, गोल में पारित निर्णय दिनांक 07.2.2023 के पुनर्विलोकन हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(3) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।

(2) प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, लेकिन अप्रार्थी को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये व न ही प्रार्थना पत्र का अप्रार्थी की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(3) प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री शाह ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि इस न्यायालय द्वारा उक्त पंचायत निगरानी प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रस्तुत शपथ पत्र व अन्य प्रपत्रों का सही ढंग से विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि प्रार्थीगण का ग्राम गोल के वार्ड संख्या 04 में एक त्रिकोण भूखण्ड आया हुआ है जिस पर वर्तमान में प्रार्थीगण का कब्जा व भोगवटा है और इससे पूर्व प्रार्थी संख्या 01 के पिता व प्रार्थी संख्या 2 के दादा स्वर्गीय अचलेश्वर जी का कब्जा भोगवटा था जिन्होनें उक्त भूखण्ड़ को ब्राह्मण समाज से दिनांक 24.7.1977 को खरीदकर कब्जा प्राप्त किया था तब से लगातार आज दिन तक तक कब्जा व भोगवटा स्वर्गीय अचलेश्वरजी का चला आ रहा है। वर्तमान में अचलेश्वरजी पुत्र खीमजी का स्वर्गवास दिनांक 03.1.2022 को हो चुका है और उनकी वसीयत अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड़ प्रार्थीगण के नाम पंजीकृत वसीयतनामा होने से प्रार्थीगण इसके मालिक है व इनका कब्जा व भोगवटा है। स्वगर्यीय अचलेश्वरजी ने अपनी जिन्दावस्था में उक्त प्रश्नगत भूखण्ड़ जिस पर कच्चा केलूपोश मकान बना हुआ था जो जर्जर अवस्था में होने से उसे तुडवाकर उक्त भूखण्ड़ के [illegible] दिवारी निकाली थी जो आज भी मौके पर मौजूद है। [illegible] फीट है जिसका पट्टा बनाने हेतु अचलेश्वरजी ने ग्राम पंचाय[illegible] किया था जिसकी छाया [illegible] पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

प्रति इस रिव्यु प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। जिस पर पंचायत द्वारा मौके पर आकर नजरी नक्शा तैयार किया गया था और स्वगवर्यीय अचलेश्वरजी ने उक्त भूखण्ड़ का पट्टा बनाने हेतु नियमानुसार दिनांक 20.10.1978 को पंचायत कोष में राशि जमा करवाई थी जो ग्राम पंचायत, गोल की मोहर सहित छाया प्रति इस प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। स्वर्गीय अचलेश्वरजी ने उक्त भूखण्ड़ पर निर्माण कार्य स्वीकृति हेतु दिनांक 30.9.2004 को प्रार्थना पत्र सरपंच, ग्राम पंचायत, गोल को प्रस्तुत किया था और उससे पूर्व दिनांक 23.2.2004 को भी प्रस्तुत किया था जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थीगण व उससे पूर्व स्वर्गीय अचलेश्वर जी द्वारा प्रस्तुत की गई। उक्त पंचायत निगरानी में दामोदर ओझा जो कि वार्ड सदस्य है और लक्ष्मी बाई पत्नि नेनारामजी, निवासी– गोल जो कि ग्राम गोल के सरपंच के पद पर तैनात थी इन दोनों गवाहों ने स्वर्गीय अचलेश्वरजी का पुराना कब्जा व भोगवटा उक्त भूखण्ड़ पर माना था और नजरी नक्शा भी उनकी उपस्थिति में बनवाया हुआ है और वर्ष 1978 से पूर्व बिना किसी रुकावट लगातार पंचायत की जानकारी में कब्जा भोगवटा चला आ रहा है के कथनों पर सही ढंग से विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित करने में कानूनी व तथ्यों की भूल की है। अतः प्रार्थीगण का रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्या 07/2021 प्रकाशचन्द दवे व अन्य बनाम सरपंच, ग्राम पंचायत, गोल में पारित निर्णय दिनांक 07.2.2023 को निरस्त किया जावे और ग्राम पंचायत, गोल को प्रार्थीगण के पक्ष में उक्त भूखण्ड़ का पट्टा बनवाने हेतु निर्देशित किया जावे।

(4) प्रार्थीगण के अधिवक्ता की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, गोल द्वारा पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.2.2020 को निरस्त कराने हेतु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(1) के तहत इस न्यायालय में निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जो इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्याः 07/2021 पर दर्ज किया जाकर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07 फरवरी, 2023 के द्वारा प्रार्थीगण का निगरानी आवेदन खारिज किया गया था। इस न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 07.2.2023 के अनुसार ग्राम पंचायत, गोल द्वारा पंचायत बैठक दिनांक 20.2.2020 में प्रस्ताव संख्या 7 पारित कर महेन्द्र भाई / अचलेश्वर जी ब्राह्मण द्वारा वार्ड संख्या 4 में सोपाराम कुम्हार के सामने पंचायत की भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटाने के संबंध में नोटिस जारी करने का निर्णय लिया जाकर उक्त प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 20.2.2020 के अनुसरण में ग्राम पंचायत, गोल द्वारा श्री महेन्द्र भाई पुत्र अचलेश्वर जी ब्राह्मण, निवासी– गोल को नोटिस क्रमांक 137 दिनांक 12.3.2020 जारी उक्त उक्त भूमि पर कब्जे के संबंध में ठोस दस्तावेज ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, गोल द्वारा महेन्द्र भाई पुत्र अचलेश्वर जी ब्राह्मण, निवासी– गोल को पुनः नोटिस क्रमांकः 141/2019–2020 दिनांक 20.3.2020 को जारी कर अतिक्रमण हटाने हेतु सूचित किया गया है।

न्यायालय पत्रावली व इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्याः 07/2021 में पारित निर्णय दिनांक 07.2.2023 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण ने इस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में जो कथन व तथ्य अंकित किये है उन सभी कथनों, तथ्यों एवं दस्तावेजों का इस न्यायालय द्वारा पूर्ण रुप से अध्ययन एवं गुणावगुण पर विवेचन करते हुए पंचायत निगरानीः [illegible] 07.2.2023 को निर्णय पारित किया गया है। जहां तक, इस न्यायालय [illegible] त निगरानी संख्याः 07/2021 में पारित निर्णय दिनांक 07.2.20[illegible] मैंने न्यायालय पत्रावली पर ऐसे कोई भी लेखबद्ध [illegible] सके आधार पर इस न्यायालय के

....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:22 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

उक्त निर्णय दिनांक 07.2.2023 का पुनर्विलोकन किया जा सकता हो। यह भी उल्लेखनीय है कि पुनर्विलोकन का दायरा सीमीत है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97(3) के अर्न्तगत किसी आदेश या निर्णय का पुनर्विलोकन संबंधित न्यायालय द्वारा उन्हीं परिस्थितियों में किया जा सकता है, यदि वह आदेश किसी भूलवश जो, चाहे तथ्य की हो या विधि की, या किसी तात्विक तथ्य की अज्ञानतावश, पारित किया गया हो। चूंकि पत्रावली के अवलोकन से इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्याः 07/2021 में पारित निर्णय दिनांक 07.2.2023 में तथ्यों या विधि की कोई त्रृटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति में, प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र सारहीन होने व साबित नही होने से खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी अर्न्तगत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थी सारहीन होने एवं साबित नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31 जनवरी, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:22 IST
Reason: SelfAttested